आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	3

13/12/24

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–रहेया जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–41, प्लौट सं0–14/4 कुल रकबा 0.90 ए0 पर श्री समसू खाँ वो समसेर खाँ पिता स्व0 नासो खाँ के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 96/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा रहेया थाना सं0 345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–41, प्लौट सं0–14/4 रकबा 0.90 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री समसू खाँ वो समसेर खाँ पिता स्व0 नासों खाँ के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 27/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2009–12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई.....समाप्त.....की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/12/24
अंचल अधिकारी,
मनातू।

13/12/24
अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध जमाबंदी केस नं० 105/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-रहेया जमहर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 41, प्लॉट - 14/4 रकबा - 0.90 ए० पर समसु खाँ वो समसेर खाँ पिता स्व० नासो खाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। इनके द्वारा जाँच के दौरान बंदो० पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 96/02-03 के अन्तर्गत दिनांक - 11/07/03 को मौजा - रहेया थाना नं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाता नं० 41, प्लॉट नं० 14/4 रकबा 0.90 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत समसु खाँ वो समसेर खाँ पिता - स्व० नासो खाँ के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा - रहेया के पंजी-II के पेज नं० 27/2 पर दर्ज होकर वर्ष - 2009-12 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

3
13/4/2024

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० कु० नि०
हल्का - I/II

13/4/24

13/4/2024

13/4/24
RSI+CI

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.17 17:12:45 +05:30
Location: 192.168.190.97